न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 869 सन 2022

अनवान :–

1. नत्थुराम पुत्र गनेशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलवन्ता पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. हनुमान पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/08/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 75/75 की कुल 4.8070हैक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 की कुल 3.0040हैक भूम प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एव रास्ता का उपयोग करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य वाद भूमि को लेकर हुए परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे के किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एव रास्ता की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एव रास्ता का उपयोग करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल

Scanned with CamScanner

मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 75/75 की कुल 4.8070हैक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 की कुल 3.0040हैक भूम प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एव रास्ता का उपयोग करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 75/75 की कुल 4.8070हैक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 की कुल 3.0040हैक भूम प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा एव रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एव रास्ता का उपयोग करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने भूमि काश्त की सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है जिसके अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एव

Scanned with CamScanner

न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 के प0 न0 360/393 (50) के किला नं. 6/2 की 0.1580 है0, 7/2 की 0.1270 है0, 14/1 की 0.0790 है0, 15/1 की 0.0790 है0 कुल 0.4430 है0 भूमि व प0 न0 362/392 (42) के किला नं. 22, 23, 24, 25 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.016 है0 भूमि में वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा वादी की रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 75/75 के प0 न0 362/392 (42) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 व 17 की 0.2530 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता सख्या 25/23 के प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 22, 23, 24, 25 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.016 है0 भूमि व वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 75/75 के प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 21 की मिन दक्षिण की 0.016 है0 व प0 नं0 361/392 (43) के किला नं. 25 के मिन पूर्वी दक्षिणी कोना की 0.002 है0 व प0 नं0 361/393(51) के किला नं. 5 के मिन पूर्व की 0.016 है0, व मिन दक्षिण की 0.015 है0, किला नं 4 के मिन दक्षिण की 0.016 है0, किला नं. 3 के मिन दक्षिण की 0.016 है0, किला नं. 8 के मिन पश्चिम की 0.016 है0 भूमि में गै0 मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकनील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाक 29/08/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नत्थुराम पुत्र गनेशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. हनुमान पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 669 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/08/2024

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 के प0 नं0 360/393 (50) के किला नं. 6/2 की 0.1580 है0, 7/2 की 0.1270 है0, 14/1 की 0.0790 है0, 15/1 की 0.0790 है0 कुल 0.4430 है0 भूमि व प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 22, 23, 24, 25 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.016 है0 भूमि मे वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा वादी की रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 75/75 के प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 व 17 की 0.2530 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 25/23 के प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 22, 23, 24, 25 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.016 है0 भूमि व वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 75/75 के प0 नं0 362/392 (42) के किला नं. 21 की मिन दक्षिण की 0.016 है0 व प0 नं0 361/392 (43) के किला नं. 25 के मिन पूर्वी दक्षिणी कोना की 0.002 है0 व प0 नं0 361/393(51) के किला नं. 5 के मिन पूर्व की 0.016 है0, व मिन दक्षिण की 0.015 है0, किला नं. 4 के मिन दक्षिण की 0.016 है0, किला नं. 3 के मिन दक्षिण की 0.016 है0, किला नं. 8 के मिन पश्चिम की 0.016 है0 भूमि में गै0 गु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner